

Form No. :.....

Date :.....

कार्यालय रांची नगर निगम, रांची।



आवेदन पत्र

रांची नगर निगम अधिनियम 2001 की धारा 178 के अन्तर्गत, निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित लॉज/बोर्डिंग हाउस/क्लब/होटल के संबंध में

- 1 आवेदक का नाम :.....
- 2 पिता/पति का नाम :.....
- 3 वर्तमान पता :.....
- 4 मकान या मकान का अंश का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है?
 लॉज बोर्डिंग हाउस क्लब होटल
- 5 मकान का होल्डिंग नं०.....वाड नं०.....
- 6 होल्डिंग मालिक का नाम :.....
- 7 मुहल्ला का नाम :.....
- 8 कंडिका 4 के अनुसार कितने कमरों का उपयोग किया जा रहा है?.....
- 9 कुल कितने व्यक्तियों का रहने का प्रावधान है? :.....
- 10 भवन में जलापूर्ति की व्यवस्था : सप्लाई वाटर कुआँ चापानल अन्य
- 11 भवन में बाथरूमों की संख्या :.....
- 12 विद्युत व्यवस्था जेनरेटर की सुविधा के साथ या नहीं ?.....
- 13 रहने वाले व्यक्ति के लिये भोजन व्यवस्था के संबंध में :
 मेस की सुविधा
 रहने वाले स्वयं व्यवस्था करते हैं
 किसी संस्था/होटल द्वारा उपलब्ध करायी जाती है
- 14 प्रत्येक कमरे में खिडकियों की सं० :.....
- 15 प्रत्येक कमरे में पंखों की संख्या/ या अन्य व्यवस्था :.....
- 16 भवन का उपयोग इस निमित्त कब से किया जा रहा है?.....

एतद् द्वारा मैं यह प्रमाणित करता हूँ, कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

आवेदक का हस्ताक्षर

पता :

टेलीफोन नं० :